छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक......23........../2016 दिनांक 8/ 04 /2016

विषयः- मण्डल की समस्त योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों की पंजीयन राशि निर्धारित करने बाबत्।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के नियमानुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में भवनों की पंजीयन राशि भवन मूल्य की 15 प्रतिशत निर्धारित है। वर्तमान में यह पाया गया है कि एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवेदको को भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ उक्त राशि जमा करने में कठिनाई होती है इसे दृष्टिगत रखकर नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. भवनों हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर रू.15000/- तथा एल.आई.जी. भवन के 15 प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर रू.30000/- रखने हेतु मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में मण्डल परिपत्र क्रमांक 08 दिनांक 15.02.2016 द्वारा अनुमति प्रदान गई है।

वर्तमान में पंजीयन राशि शिथिल करने हेतु मण्डल के कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है। नया रायपुर में प्रधानमंत्री योजना हेतु लिए गए इस निर्णय के कारण भवनों के पंजीयन में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इससे शेष राशि की व्यवस्था करने तथा बैंक आदि से ऋण की व्यवस्था करने का अवसर आवेदकों को प्राप्त हो जाता है।

अतः हितग्राहियों की सुविधाओं को देखते हुए भवन मूल्य की 15 प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर मण्डल द्वारा समस्त योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ई.डब्ल्यू.एस. भवन के लिए रू.25000/- तथा एल.आई.जी. भवन के लिए रू.50000/- पंजीयन राशि निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्र. 821 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-186/16 रायपुर, दिनांक 8/04/2016

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

क्रमशः-02

5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
8. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/ राज.परि.संभाग-01,02रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर/कोण्डागांव/कवर्धा/महासमुन्द/धमतरी/विद्युत संभाग-01,नया रायपुर/ विद्युत संभाग-02, मुख्यालय रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
11. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01,02,03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/ बिलासपुर/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12. आई.टी.शाखा, छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर